झारखण्ड सरकार

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

## संकल्प

विषयः–झारखण्ड लोक निर्माण संहिता के नियम–274 के प्रावधानों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं, इत्यादि के निर्माण के क्रम में जर्जर/अनावश्यक संरचनाओं को ध्वस्त करने के फलस्वरूप उत्पन्न मलबे का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु साल्वेज वैल्यू समिति का गठन।

3687
08/06/17

झारखण्ड शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएँ/सुविधाएँ विकसित करने हेतु चयनित योजनाओं के सूत्रण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा प्रबंधन के निमित्त, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में विभागीय संकल्प संख्या–2601 दिनांक–09.07.2013 के द्वारा सर्वश्री जुडको लिमिटेड का गठन किया गया है।

2. सर्वश्री जुडको लिमिटेड के द्वारा शहरी क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यो को प्रारम्भ किया गया है एवं इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित पूर्व से निर्मित पुरानी जर्जर संरचनाओं, जिनका उपयोग करना असुरक्षित हो गया है अथवा जिनकी सम्प्रति अब आवश्यकता नहीं है, को ध्वस्त करने के फलस्वरूप मलबे से प्राप्त होने वाली सामग्रियों, यथा– स्टील, खिड़की एवं दरवाजे के पैनल, विद्युत संयत्र, इत्यादि का आधार मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है ताकि उक्त सामग्रियों की यथानिर्धारित आधार मूल्य के आधार पर नीलामी की कार्रवाई की जा सके।

3. झारखण्ड लोक निर्माण संहिता के नियम–274 के अन्तर्गत उपयोगी एवं अनुपयोगी वस्तुओं के संधारण/निस्तारण के प्रावधान निरूपित किये गये हैं।

4. तदनुसार झारखण्ड लोक निर्माण संहिता के नियम–274 के प्रावधानों के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन उक्त सामग्रियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु 'साल्वेज वैल्यू समिति' का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| i | मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार | अध्यक्ष |
| ii | प्रतिनिधि, योजना–सह– वित्त विभाग | सदस्य |
| iii | प्रतिनिधि, खनन एवं उद्योग विभाग | सदस्य |
| iv | प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग | सदस्य |
| v | महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना) जुडको लि0 | सदस्य सचिव |

5. इस समिति की आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जायेंगी तथा कालक्रम में विषयवस्तु विशेषज्ञो से तकनीकी सेवायें प्राप्त की जायेंगी, जो आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेंगे।

6. उक्त समिति की बैठक का कोरम, कम से कम तीन सदस्यों का होगा।

D-Rahul_rk_sankalp 77

7. उक्त समिति ध्वस्त की गई संरचनाओं से प्राप्त सामग्रियों का आधार मूल्य निर्धारित करेगी।

समिति, सामग्रियों के आधार मूल्य निर्धारण के पश्चात नीलामी हेतु सर्वश्री जुडको लिमिटेड को अनुशंसा करेगी।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8.6.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक– 01/विविध–38/2017**......3687...... **राँची,दि0–**...08/06/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक– 01/विविध–38/2017**......3687...... **राँची,दि0–**...08/06/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार/महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना) जुडको लि0/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/खनन एवं उद्योग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.6.17

सरकार के प्रधान सचिव।